



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

टेलिफैक्स:Telefax:+91-135-2744064,
2743331
वेबसाईट:Website: www.surveyofindia.gov.in
Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064
ई-मेल:E-Mail: sgo.conf.soi@gov.in



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA
डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं०सी- 2595 /1354(ओ.एस./एस.जी.ओ.)

दिनांक 28 अगस्त 2020

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक : पूर्वोत्तर क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/विशिष्ट क्षेत्र

निदेशक : मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश जी.डी.सी./उत्तराखण्ड एवं प.उ.प्र.जी.डी.सी./महाराष्ट्र एवं गोवा जी.डी.सी.

विषय: कार्यालय अधीक्षक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति ।

निम्नलिखित सहायक को कार्यालय अधीक्षक के पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 6 में नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती
1.	Shri Bobby Nongpiur(ST)	MI & Ar P GDC, Shillong	Assam & Nagaland GDC, Guwahati
2.	Shri Man Mohan Pant	UK & W UP GDC, D.Dun	MA&DC, Dehra Dun
3.	Shri S.O.Jacob	Mh & Goa GDC, Pune	Mh & Goa GDC, Pune

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए ।

3. उपरोक्त कर्मचारियों से यह स्पष्ट रूप से लिखित में ले लिया जाये कि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति स्वीकार करते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं । पदोन्नति की स्वीकृति या अस्वीकृति जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 27.09.2020 तक अवश्य सूचित करें । यदि इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि वह पदोन्नति अस्वीकार करते हैं तथा यदि उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारी स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन देने के इच्छुक हों तो उनके प्रत्यावेदन इस पत्र के जारी होने के 10 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में उचित माध्यम के द्वारा पहुंच जाने चाहिये उक्त 10 दिन की समय अवधि के पश्चात् प्राप्त प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा । अतः सम्बन्धित कार्मिक अपना प्रत्यावेदन यथा समय कार्यालय में प्रस्तुत कर दें ।

क्रमशः.....2/-

4. उपरोक्त कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/5/86-स्था० (डी०) के पैरा 17. 12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा । इस सम्बन्ध में कार्यालय यह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित कार्मिक की लिखित अस्वीकृति एक माह की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व ही इस कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए ।

5. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के कास्ट स्टेटस के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।

6. यदि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।

7. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ०आर०२२(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा ।

8. *The promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*

9. पदोन्नत कर्मचारियों से संलग्न **Undertaking** प्राप्त कर लें तथा अभिलेख में रखें ।

10. इस पत्र के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का पत्राचार (प्रत्यावेदन/अस्वीकृति पत्र/उपस्थिति रिपोर्ट) करते समय इस पत्र का सन्दर्भ एवं विषय अवश्य लिखें । पत्र के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का ई-मेल आप इस अनुभाग की E-Mail: sgo.conf.soi@gov.in पर ही प्रेषित करें ।

(अरिन्दम गुप्ता)

कर्नल

उप महासर्वेक्षक

कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि

1. निदेशक , असम एवं नागालैंड जी.डी.सी./मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र ।
2. लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून /कोलकाता/हैदराबाद ।
3. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-2/कार्य अध्ययन एकक/जे०सी०एम० अनुभाग/गोपनीय सहायक (म०स०का०) ।
4. महासचिव मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, देहरादून ।
5. इंचार्ज, वेब एडमिन ।
6. इंचार्ज, ई-ऑफिस ।

UNDERTAKING

1. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of the SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others.
2. I the undersigned do hereby undertake that my promotion and seniority in the cadre of Assistant will be liable for revision at any point of time if any bonafide mistake is found with reference to any records.
3. I the undersigned do hereby undertake that my promotion is subject to outcome of recasting of reservation rosters in the cadre of Assistant in accordance with **(i) DoP&T's OM No. 36012/45/2005-Estt.(Res.) dated 10-08-2010 & (ii) DoP&T's OM No. 36012/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018.**
4. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the any further orders which may be passed by the Hon'ble Supreme Court in **DoP&T's OM No. 36012/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018** and outcome of any other cases pending before the Hon'ble CAT/Other Courts.
5. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of **DoP&T's OM No. 36012/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others VsLachhmiNarain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.**

Place:

Date:

Signature:

Name:

Address of Office:

COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR


वचनपत्र

1. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others. के निर्णय का पालन करूंगा ।
2. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मेरा promotion and seniority in the cadre of Assistant will be liable for revision at any point of time if any bonafide mistake is found with reference to any records.के अंतर्गत किए गए निर्णय का पालन करूंगा ।
3. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि my promotion is subject to outcome of recasting of reservation rosters in the cadre of Assistant in accordance with (i) **DoP&T's OM No. 36012/45/2005-Estt.(Res.) dated 10-08-2010** & (ii) **DoP&T's OM No. 36012/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018**. के अंतर्गत किए गए निर्णय का पालन करूंगा ।
4. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि I shall abide by the any further orders which may be passed by the Hon'ble Supreme Court in **DoP&T's OM No. 36012/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018** and outcome of any other cases pending before the Hon'ble CAT/Other Courts. के अंतर्गत किए गए निर्णय का पालन करूंगा ।
5. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं माननीय कोर्ट के वाद **Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others VsLachhmiNarain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter** के निर्णय के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करूंगा ।

स्थान:
दिनांक:

हस्ताक्षर:
कर्मचारी का नाम:
कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक / निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



टेलिफैक्स:Telefax:+91-135-2744064,
2743331

वेबसाइट:Website: www.surveyofindia.gov.in

Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064

ई-मेल:E-Mail: sgo.conf.soi@gov.in

भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA
डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं०सी- 2560 /1354(ओ.एस./एस.जी.ओ)

दिनांक 24 अगस्त 2020

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक : पश्चिमी क्षेत्र / दक्षिणी क्षेत्र / पूर्वोत्तर क्षेत्र / उत्तरी क्षेत्र / पूर्वी क्षेत्र

निदेशक : राजस्थान जी.डी.सी. /कर्नाटक जी.डी.सी. /मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश जी.डी.सी.

विषय: कार्यालय अधीक्षक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति ।

- संदर्भ:**
- (1) इस कार्यालय का पत्र सं० सी-2125/1354(ओ.एस/एस.जी.ओ.) दि० 19.06.20
 - (2) इस कार्यालय का पत्र सं० सी-2277/1354(ओ.एस/एस.जी.ओ.) दि० 10.07.20
 - (3) इस कार्यालय का पत्र सं० सी-2319/1354(ओ.एस/एस.जी.ओ.) दि० 17.07.20

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्रों में आंशिक संशोधन करते हुये पैरा 1 में दर्शित निम्न कार्मिकों की पूर्व तैनाती स्थल में परिवर्तन कर नई तैनाती निम्न अनुसार की जाती है :-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती	पूर्व तैनाती आदेश संख्या एवं दिनांक	पात्रता की तिथि
1	Shri N C Meena (ST)	Rajasthan GDC, Jaipur	Western Zone, Jaipur	C-2125/1354 (OS /SGO) dt. 19.06.2020	05.11.2020
2	Shri K.Ganapathy (SC)	Karnataka GDC, Bangaluru	Southern Zone, Bangaluru	C-2277/1354 (OS /SGO) dt. 10.07.2020	-
3	Shri MC Warjri (ST)	Megh. & Ar. P GDC Shillong	North Eastern Zone Shillong	C-2319/1354 (OS /SGO) dt. 17.07.2020	-
4	Shri Gopal Krishan	Northern Zone Chandigarh	Northern Zone Chandigarh		-

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्रों में वर्णित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

(अरिन्दम गुप्ता)

कर्मल


उप महासर्वेक्षक

कृते भारत के महासर्वेक्षक

कमश पृष्ठ.....2/पर जारी

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक , गुजरात , दमन एवं दीव जी.डी.सी./त्रिपुरा , मणिपुर एवं मिजोरम जी.डी.सी./पूर्वी उत्तर प्रदेश जी.डी.सी.
2. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद/ कोलकाता/जयपुर
3. स्थापना एवं लेखा अधिकारी 'प्रशासन' (म.स.का.) ।
4. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-2/कार्य अध्ययन एकक/जे.सी.एम. अनुभाग(म.स.का.)।
5. महासचिव मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, देहरादून ।
6. इंचार्ज, वेब एडमिन , इंचार्ज, ई-ऑफिस ।
7. गोपनीय सहायक (म.स.का.) ।



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

टेलिफैक्स: Telefax: +91-135-2744064,
2743331
वेबसाइट: Website: www.surveyofindia.gov.in
Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064
ई-मेल: E-Mail: sgo.conf.soi@gov.in



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA
डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं०सी- 2319 /1354(ओ.एस./एस.जी.ओ.)

दिनांक 17 जुलाई 2020

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक
उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़

स्थापना एवं लेखा अधिकारी 'प्रशासन' (म०स०का०) ।

विषय: कार्यालय अधीक्षक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति ।

निम्नलिखित सहायक को कार्यालय अधीक्षक के पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 6 में नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं:-


क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती	पात्रता की तिथि
1.	Shri Gopal Krishan	Northern Zone , Chandigarh	East UPGDC, Lucknow	-
2.	Shri Sanjeev Kumar Sharma	SGO, Dehra Dun	SGO, Dehra Dun	-

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए ।

3. उपरोक्त कर्मचारियों से यह स्पष्ट रूप से लिखित में ले लिया जाये कि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति स्वीकार करते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं । पदोन्नति की स्वीकृति या अस्वीकृति जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 16.08.2020 तक अवश्य सूचित करें । यदि इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होती हैं तो यह मान लिया जायेगा कि वह पदोन्नति अस्वीकार करते हैं तथा यदि उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारी स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन देने के इच्छुक हों तो उनके प्रत्यावेदन इस पत्र के जारी होने के 10 दिन के भीतर इस कार्यालय में पहुंच जाने चाहिये ।

क्रमशः.....2/-

4. उपरोक्त कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/5/86-स्था० (डी०) के पैरा 17. 12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा ।
5. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के कास्ट स्टेटस के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।
6. यदि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।
7. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ०आर०२२(१)(क)(१) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा ।
9. *The promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*
10. पदोन्नत कर्मचारियों से संलग्न **Undertaking** प्राप्त कर लें तथा अभिलेख में रखें ।


(अरिन्दम गुप्ता)
कर्नल
उप महासर्वेक्षक
कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि:

- 1 निदेशक, पूर्वी उत्तर प्रदेश जी०डी०सी०, लखनऊ ।
- 2 लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून ।
- 3 कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-2/कार्य अध्ययन एकक/जे०सी०एम० अनुभाग/गोपनीय सहायक (म०स०का०) ।
- 4 महासचिव मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, देहरादून ।
- 5 इंचार्ज, वेब एडमिन ।
- 6 इंचार्ज, ई-ऑफिस ।

UNDERTAKING

3. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of the SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others.
4. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of ***the Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.***

Place:

Date:

Signature:

Name:

Address of Office:

COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

वचन पत्र

3. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others के निर्णय का पालन करूंगा ।
4. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं माननीय कोर्ट के वाद ***Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter*** के निर्णय के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करूंगा ।

स्थान:


दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक / निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

टेलिफैक्स:Telefax:+91-135-2744064,
2743331
वेबसाइट:Website: www.surveyofindia.gov.in
Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064
ई-मेल:E-Mail: sgo.soi@gov.in
sgo.conf.soi@gov.in



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA
डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं०सी- 2277 /1354(ओ.एस./एस.जी.ओ.)

दिनांक 10 जुलाई, 2020

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक: पश्चिमी क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र/विशिष्ट क्षेत्र/ मुद्रण क्षेत्र/

निदेशक: राजस्थान जी.डी.सी. / मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश जी.डी.सी./ सर्वेक्षण (हवाई) एवं दिल्ली जी.डी.सी. / ।

विषय: कार्यालय अधीक्षक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति ।

निम्नलिखित सहायक को कार्यालय अधीक्षक के पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 6 में नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती	पात्रता की तिथि
1.	Shri Ram Gopal Bairwa (SC)	Rajasthan GDC, Jaipur	NPG, Dehra Dun	-
2.	Shri M.C.Warjri (ST)	Megh & Ar. P GDC, Shillong	TM&M GDC, Silchar	-
3.	Shri Mahendra Mehta	Survey (Air) & Delhi GDC, New Delhi	Western Printing Group, New Delhi	-

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए ।

3 उपरोक्त कर्मचारियों से यह स्पष्ट रूप से लिखित में ले लिया जाये कि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति स्वीकार करते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं । पदोन्नति की स्वीकृति या अस्वीकृति जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 09.08.2020 तक अवश्य सूचित करें । यदि इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि वह पदोन्नति अस्वीकार करते हैं तथा यदि उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारी स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन देने के इच्छुक हों तो उनके प्रत्यावेदन इस पत्र के जारी होने के 10 दिन के भीतर इस कार्यालय में पहुंच जाने चाहिये ।

क्रमशः.....2/-

4. उपरोक्त कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/5/86-स्था० (डी०) के पैरा 17. 12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा ।

5. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के कास्ट स्टेटस के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।

6. यदि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।

7. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ०आर०22(I)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा ।

9. *The promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*

10. पदोन्नत कर्मचारियों से संलग्न **Undertaking** प्राप्त कर लें तथा अभिलेख में रखें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by ARINDAM GUPTA
Date: 2020.07.12 12:28:45 IST

(अरिन्दम गुप्ता)
कर्नल
उप महासर्वेक्षक
कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि:

- 1 निदेशक: उत्तरी मुद्रण वर्ग/ त्रिपुरा,मणिपुर एवं मिजोरम जी.डी.सी./ पश्चिमी मुद्रण वर्ग
- 2 लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून
- 3 लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता/जयपुर/।
- 4 कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-2/कार्य अध्ययन एकक/जे०सी०एम० अनुभाग/गोपनीय सहायक (म०स०का०) ।
- 5 महासचिव मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, देहरादून ।

UNDERTAKING

1. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of the SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others.
2. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of ***the Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.***

Place:

Date:

Signature:

Name:

Address of Office:

COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

वचन पत्र

1. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others के निर्णय का पालन करूंगा ।
2. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं माननीय कोर्ट के वाद ***Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter*** के निर्णय के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करूंगा ।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक / निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

टेलिफैक्स:Telefax:+91-135-2744064, 2743331

वेबसाइट:Website: www.surveyofindia.gov.in

Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064

ई-मेल:E-Mail: sgo soi@gov.in

sgo.conf.soi@gov.in



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA
डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं०सी-2125/1354(ओ.एस./एस.जी.ओ.)

दिनांक: 19 जून, 2020

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक: पश्चिमी क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र/विशिष्ट क्षेत्र/दक्षिणी क्षेत्र/पूर्वी क्षेत्र/भारतीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संस्थान/मुद्रण क्षेत्र ।

निदेशक: राजस्थान जी०डी०सी०/महाराष्ट्र एवं गोवा जी०डी०सी०/छत्तीसगढ़ जी०डी०सी०/मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश जी०डी०सी०/हिमाचल प्रदेश जी०डी०सी०/मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र/राष्ट्रीय जी०डी०सी०/कर्नाटक जी०डी०सी०/झारखण्ड जी०डी०सी०/पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी०डी०सी०/भौगोलिक सूचना पद्धति एवं सुदूर संवेदन निदेशालय/मध्य प्रदेश जी०डी०सी०/सर्वेक्षण (हवाई) एवं दिल्ली जी०डी०सी०/आन्ध्र प्रदेश जी०डी०सी० ।

स्थापना एवं लेखा अधिकारी 'प्रशासन' (म०स०का०) ।

विषय: कार्यालय अधीक्षक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति ।

निम्नलिखित सहायक को कार्यालय अधीक्षक के पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 6 में नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती	पात्रता की तिथि
1.	Shri N C Meena(ST)	Rajasthan GDC, Jaipur	Gujarat, Daman & Diu GDC, Gandhi Nagar	05-11-2020
2.	Shri S G Parate(ST)	Maharashtra & Goa GDC, Pune	Maharashtra & Goa GDC, Pune	
3.	Smt Anita Raja	Chhattishgarh GDC, Raipur	Chhattishgarh GDC, Raipur	
4.	Shri Sarat Chandra Kalita	Megh & Ar P GDC, Shillong	Megh & Ar P GDC, Shillong	05-11-2020
5.	Smt Ranjana Bhadikar	Chhattishgarh GDC, Raipur	East UP GDC, Lucknow	
6.	Shri Ram Kumar Gupta	HP GDC, Chandigarh	Pb,H&C GDC, Chandigarh	
7.	Shri Jai Prakash(SC)	MA&DC, Dehra Dun	NPG, Dehra Dun	
8.	Shri R P Mendhe (SC)	Chhattishgarh GDC, Raipur	Orissa GDC, Bhubaneswar	
9.	Shri Arun Kumar(SC) (PH)	National GDC, Dehra Dun	G&RB, Dehra	
10.	Shri K.Ganapathy (SC)	Karnataka GDC, Bangalore	SGO, Dehra Dun	
11.	Smt. Alice Kujur (ST)	Jharkhand GDC, Ranchi	Jharkhand GDC, Ranchi	
12.	Shri Bairagi Dehury (ST)	WB & Sikkim GDC, Kolkata	WB & Sikkim GDC, Kolkata	

क्रमश पृष्ठ ...2.. पर जारी....

13.	Shri Dinesh Saini	Rajasthan GDC, Jaipur	Survey (Air) & Delhi GDC, New Delhi	
14.	Shri D Vijaya Koti Dinakar(SC)	GIS&RS Dte, Hyderabad	IIS&M, Hyderabad	
15.	Shri Ashok Kumar Sharma	Rajasthan GDC, Jaipur	East UP GDC, Lucknow	
16.	Smt. Veena Bhardwaj (SC)	Specialized Zone, Dehra Dun	NPG, Dehra Dun	
17.	Smt.M.C.Kujur(ST)	Survey (Air) & Delhi GDC, New Delhi	Survey (Air) & Delhi GDC, New Delhi	
18.	Shri M C Subbarayudu(SC)	IIS&M, Hyderabad	Ptg Zone, Hyderabad	
19.	Shri B.Rajan Babu (SC)	AP GDC, Hyderabad	Bihar GDC, Patna	
20.	Shri Naresh Kumar (SC)	SGO, Dehra Dun	SGO, Dehra Dun	
21.	Shri P.L.Meena (ST)	Rajasthan GDC, Jaipur	Jammu & Kashmir GDC Jammu	
22.	Shri Bobby Nongpiur (ST)	Megh & Ar P GDC, Shillong	TMMz GDC, Silchar	
23.	Smt Uma Khatri	MP GDC, Jabalpur	Western Printing Group, New Delhi	

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए ।

3. उपरोक्त कर्मचारियों से यह स्पष्ट रूप से लिखित में ले लिया जाये कि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति स्वीकार करते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं । पदोन्नति की स्वीकृति या अस्वीकृति जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 18.07.2020 तक अवश्य सूचित करें । यदि इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि वह पदोन्नति अस्वीकार करते हैं तथा यदि उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन देने के इच्छुक हों तो उनके प्रत्यावेदन इस पत्र के जारी होने के 10 दिन के भीतर इस कार्यालय में पहुंच जाने चाहिये ।

4. उपरोक्त कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/5/86-स्था० (डी०) के पैरा 17. 12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा ।

5. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के कास्ट स्टेटस के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।


6. यदि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।

7. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ०आर०२२(१)(क)(१) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा ।

क्रमशः.....३/-

8. *The promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*

9. पदोन्नत कर्मचारियों से संलग्न **Undertaking** प्राप्त कर लें तथा अभिलेख में रखें ।



(अरविन्दम गुप्ता)

कर्नल

उप महासर्वेक्षक

कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि:

1. निदेशक: पूर्वी उत्तर प्रदेश जी0डी0सी0/पंजाब हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी0डी0सी0/उत्तरी मुद्रण वर्ग/ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा/उड़ीसा जी0डी0सी0/गुजरात दमन एवं दीव जी0डी0सी0/बिहार जी0डी0सी0/पश्चिमी मुद्रण वर्ग/जम्मू एवं कश्मीर जी0डी0सी0/त्रिपुरा मणिपुर एवं मिजोरम जी0डी0सी0/ ।
2. लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून ।
3. लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता/जयपुर/ हैदराबाद ।
4. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-2/कार्य अध्ययन एकक/जे0सी0एम0 अनुभाग/गोपनीय सहायक (म0स0का0) ।
5. महासचिव मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, देहरादून ।
6. इंचार्ज, वेब एडमिन ।
7. इंचार्ज, ई-ऑफिस ।

UNDERTAKING

1. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of the SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others.
2. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the decision received on SG's letter No. C-5169/1952-R(Coll. II) dated 13-08-2014 from DST regarding PH reservation.
3. I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of ***the Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.***

Place:

Date:

Signature:

Name:

Address of Office:

COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

वचन पत्र

1. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं SLP NO. 21601/2010 Converted A Civil Appeal No. 39/2011 – filed by Shri T.V. Suryanarayana & others V/s Union of India & others के निर्णय का पालन करूंगा ।
2. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं भारत के महासर्वेक्षक के पत्र संख्या सी-5169/1952-आर0(संग्रह II) दिनांक 13.08.2014 पर मंत्रालय से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय का पालन करूंगा ।
3. मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं माननीय कोर्ट के वाद ***Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter*** के निर्णय के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करूंगा ।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक / निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित